राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 100वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 100वीं बैठक दिनांक 29/08/2020 को 11:30 बजे श्री भोगी लाल सदन, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. डॉ. समीर बाजपेई, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. सुश्री सरिता पी., सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1 — **दिनांक 07/07/2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 99वीं बैठक दिनांक 07/07/2020 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2 — **राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 330वीं, 331वीं, 332वीं, 333वीं एवं 334वीं बैठक क्रमशः दिनांक 01/07/2020, 02/07/2020, 03/07/2020, 04/07/2020 एवं 10/07/2020 की अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं, गौण/मुख्य खनिजों, कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं एवं अन्य परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स इंडियापावर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सकर्ता, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 780)

ऑनलाईन आवेदन – एसआईएल/सीजी/सीएमआईएन/53252/2018, दिनांक 22/06/2020।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-सकर्ता, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 753/1, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 796/1, 757/4, 735/(ठ) से 735/1, 757/3, 754/(2) से 754, 755, 757, 782/(2) से 782 कुल क्षेत्रफल- 7.88 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी (हिट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता- 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु फाईनल ईआईए

रिपोर्ट के साथ आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 22 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/05/2019 के द्वारा कोल वॉशरी बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित श्रेणी 2(ए) कोल वॉशरी का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

लोक सुनवाई दिनांक 19/02/2020, दिन बुधवार, समय 12:00 बजे, स्थान ग्राम–सकर्रा, महावीर कोल वॉशरी, बेलमुण्डी के मुख्य द्वार के सामने तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 12/05/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट पत्र दिनांक 22/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रावन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डायरेक्टर एवं श्री सोनी जैन, प्रेसीडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. यह प्रस्तावित परियोजना एक वेट टाईप कोल वॉशरी है, जो हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। ग्राम–सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 753/1, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 790/1, 757/4, 738/(8) से 738/1, 757/3, 754/(2) से 754, 755, 797, 782/(2) से 782, कुल क्षेत्रफल – 7.88 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित है।
2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम आबादी ग्राम–सकर्रा 1.5 कि.मी. एवं बिलासपुर शहर 11.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बाकरभाठा 8.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. है। कपरा डेम 2.5 कि.मी., धोपा नदी 2 कि.मी., मनियारी नदी 6.3 कि.मी. तथा अगर नदी 9.3 कि.मी. की दूरी पर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. जारी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
4. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट** – भूमि श्री विकास जैन, डायरेक्टर, मेसर्स ईस्पायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। वॉशरी प्लांट 3.9 एकड़, री–कोल,

ग्रीन कोल, सीडलिंग एवं रिजेक्ट्स स्टॉक यार्ड 4.5 एकड़, अन्य कॉमिनिटी (आंतरिक मार्ग, डब्लू.टी.पी., स्टॉफ क्वार्टर आदि) 2.45 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 8.64 एकड़ (44.33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 19.49 एकड़ (7.89 हेक्टेयर) है।

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाशड कोल 0.792 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.198 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा, कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना किया जाएगा। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को ढंका जाकर बैग फिल्टर जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची पक्की चारदीवारी वॉल का निर्माण कर उसके ऊपर 3 मीटर ऊँची विण्ड ब्रेकिंग स्क्रीन तथा रेन गन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.198 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को मेसर्स गुप्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुढ़ुवा, जिला–बलौदाबाजार, महाराष्ट्र में स्थापित कोल रिजेक्ट्स बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट में उपयोग हेतु विक्रय किया जाएगा। उक्त पॉवर प्लांट में सी.एफ.बी.सी. बॉयलर (CFBC Boiler) स्थापित है। वर्तमान में उद्योग से एल.ओ.आई. किया गया है तथा वॉशरी के स्थापना उपरांत एम.ओ.यू. (MoU) किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रोसेस में लगभग 200 किलोलीटर प्रतिदिन एवं डस्ट सप्रेशन (रेन गन एवं स्प्रिंकलर) में 20 किलोलीटर प्रतिदिन तथा घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण में 30 किलोलीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। इस प्रकार कुल 250 किलोलीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति परिसर में प्रस्तावित जलाशय (Pond) क्षमता–35,923.89 घनमीटर प्रतिवर्ष तथा परिसर से लगी हुई स्वंय के भूमि में प्रस्तावित वॉटर रिजॉयवर क्षमता–25,732.8 घनमीटर प्रतिवर्ष से किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त जलाशय की कुल क्षमता–61,656 घनमीटर प्रतिवर्ष है। परिसर से लगी हुई स्वंय के भूमि में प्रस्तावित वॉटर रिजॉयवर के उपयोग हेतु अनुमति के लिए जल संशाधन विभाग, कोटा संभाग, जिला–बिलासपुर में आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। घरेलू प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना प्रस्तावित है। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं

सेटलिंग पीपड़ की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परंतु दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–30 किलोलीटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेकेनिकल स्क्रीनिंग, ग्रीट विमूवल, ऑईल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वीलाईजेशन टैंक, एम.बी.बी.आर. ट्रीटमेंट, सेकेन्ड्री क्लेरिफिकेशन, डिसइन्फेक्शन हेतु हाईपोक्लोराईट के पश्चात् डी.एम.एफ. एवं एक्टीवेटेड मीडिया फिल्टर लगाया जावेगा। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इन्फ्राइयोए इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू–जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप परियोजना द्वारा औद्योगिक कार्य हेतु भू–जल का दोहन कर उसका उपयोग, उक्त प्राधिकरण की अनुमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

9. **रैन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 35.923 घनमीटर है। रेन वॉटर संग्रहण किये जाने के लिए जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर संग्रहण का उपयोग कोल वॉशरी के संचालन हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 820 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।

11. **वृक्षारोपण कार्य** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 3.5 हेक्टेयर (44.33 प्रतिशत) में 20 मीटर ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

12. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी**:– मॉनिटरिंग कार्य 15 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2020 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. की अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 09 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 03 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

13. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 14.2 से 34.6 माईक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 24.6 से 55.6 माईक्रोग्राम / घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 6.4 से 19.6 माईक्रोग्राम

/ घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 11.6 से 25.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर दिन के समय 39.9 डीबीए से 58.1 डीबीए एवं रात के समय 37 डीबीए से 51.1 डीबीए पाया गया। परियोजना स्थल के आसपास ध्वनि गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

14. आंतरिक मार्गों का ट्रेम-टू-ट्रेम पक्कीकरण किया जावेगा। गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वाशड कोल का परिवहन 30-40 प्रतिशत तक सड़क मार्ग से एवं 60-70 प्रतिशत तक रेलमार्ग से तथा री-कोल का परिवहन पूर्ण रूप से सड़क मार्ग से किया जाएगा।

16. कोल बीशरी प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी. कैमरा सिस्टम के माध्यम से आवागमन करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जावेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि री-कोल, वाशड कोल एवं रिजेक्ट्स से भरे सभी वाहन ठीक ढंग से ढके हुये हैं। प्रवेश द्वार पर व्हील वीश सिस्टम भी लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सके।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**

   i. प्रस्तावित कोल बीशरी परियोजना द्वारा कृषकों की फसल प्रभावित होने पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रभावित कृषकों को क्या सहायता दी जावेगी।

   ii. प्रस्तावित कोल बीशरी परियोजना के कारण भारी वाहनों के चलने से डस्ट उत्सर्जन न हो एवं दुर्घटना नहीं होने हेतु कार्ययोजना बताई जाये।

   iii. प्रस्तावित कोल बीशरी परियोजना से आस-पास के खेत खलिहानों, मार्वेशियों, नदी, तालाब, जीव-जन्तु, मंदिर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

   iv. प्रस्तावित कोल बीशरी परियोजना के तहत कोल बीशरी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की क्या व्यवस्था की जावेगी? क्या-क्या उपकरण लगाये जावेंगे।

   v. प्रस्तावित उद्योग के प्रभावित ग्रामों के नवयुवकों /शिक्षित बेरोजगारों को संयंत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाये।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में उद्योग प्रबंधन का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

   i. उद्योग प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि कोल बीशरी की स्थापना से किसी भी वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित नहीं होगी। कृषकों की फसल को नुकसान नहीं होगा। यदि सभी आवश्यक उपायों के बाद भी कृषकों की फसल को नुकसान होता है तो प्रभावित लोगों से बातचीत कर हल निकाला जायेगा।

   ii. प्रस्तावित कोल बीशरी परियोजना में री कोल/वाशड कोल/रिजेक्ट्स को तारकोलिन से ढके हुए वाहनों के द्वारा परिवहन किया जायेगा। वाहनों से दुर्घटना के रोकथाम हेतु वाहनों की गति को नियंत्रित रखा जाएगा।

   iii. प्रस्तावित कोल बीशरी परियोजना से आस-पास के खेत खलिहानों, मार्वेशियों, नदी, तालाब, जीव-जन्तु, मंदिर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े

इसलिए कोल क्रशर इकाई, सेटरी क्रेशर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जायेगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को ढंका जाकर बैग फिल्टर जोड़ा जायेगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की जायेगी। क्रासर्ड्ड डाल के चारों ओर 15 मीटर की चौड़ाई तक सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

iv. प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि आवश्यकतानुसार योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2,200	2%	44	Following activities at Nearby Government Schools and Hospitals **Village-Amsena, Sakarra and Belmundi**	
			Rain Water Harvesting System	44
			Potable Drinking water Facility	
			Running water facility for Toilets	
			Solar Lighting System	
			Plantation	
			Total	**44**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 753/1, 735/(6) से 735/1, 754/(2) से 754, 755, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 757/4, 757/3, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 782/(2) से 782, 796/1, 797, कुल क्षेत्रफल – 7.88 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित कोल वीशरी (वेट टाईप कोल वीशरी) क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को संपन्न 98वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. डोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था के अंतर्गत कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को मेसर्स गुप्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुढ़ुस, जिला–चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में स्थापित कोल रिजेक्ट्स बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट में उपयोग हेतु विक्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिये एमओयू नहीं किया गया है। अपितु लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किया गया है। वाशड कोल की कैलोरीफिक वेल्यु एवं वाशरी रिजेक्ट्स की कैलोरीफिक वेल्यु में काफी अंतर होता है। महाराष्ट्र राज्य में चन्द्रपुर के समीप कई कोयले की खदान संचालित है। मेसर्स गुप्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुढ़ुस, जिला–चन्द्रपुर, महाराष्ट्र द्वारा कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग के स्थान पर वॉशरी रिजेक्ट्स का काफी दूरी तक परिवहन कर ईंधन के रूप में उपयोग करना वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक **(Economically Viable)** संभव होगा अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता, ईंधन (वॉशरी रिजेक्ट्स) उपयोग की मात्रा (प्रतिदिन एवं वार्षिक) एवं विद्यमानीन कोल वॉशरी से उत्पन्न सभी वॉशरी रिजेक्ट्स का उपयोग इस पावर प्लांट में संभव होगा अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः उपरोक्त जानकारी एवं रिजेक्ट्स का परिवहन मेसर्स गुप्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुढ़ुस, जिला–चन्द्रपुर, महाराष्ट्र तक वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक **(Economically Viable)** होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्राप्त कर परीक्षण किया जाना उचित प्रतीत होता है। यदि वाशरी रिजेक्ट्स का इतनी लंबी दूरी तक परिवहन कर उपयोग करना वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक **(Economically Viable)** नहीं होगा तो वाशरी रिजेक्ट्स के उपयोग हेतु अन्य वैकल्पिक पावर प्लांट की जानकारी तथा एमओयू भी प्राप्त किया जाना होगा।

2. दूषित जल उपचार व्यवस्था के अंतर्गत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित बताया गया है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित स्लज के अपवहन की व्यवस्था की जानकारी नहीं दी गई है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुनः परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेबसाइट में उपलब्ध प्राधिकरण की 98वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के आधार पर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को मेसर्स गुप्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुढ़ुस, जिला–चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में स्थापित कोल रिजेक्ट्स बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट में उपयोग हेतु परिवहन कर ईंधन के रूप में उपयोग करना वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक **(Economically Viable)** होना बताया गया है। इस संबंध में कोल एवं रिजेक्ट्स की मात्रा, कैलोरीफिक वेल्यु, मूल्य, परिवहन व्यय आदि का

विवरण देते हुए गणना प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत जानकारी एवं गणना के आधार पर कोल रिजेक्ट्स को कोल रिजेक्ट्स बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट में उपयोग हेतु परिवहन कर ईंधन के रूप में उपयोग करना वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक **(Economically Viable)** प्रतीत होता है।

3. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित स्लज को ड्राई करने के पश्चात् इसका उपयोग कम्पोस्ट खाद बनाने में किया जावेगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** ग्राम–सकर्ता, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 753/1, 735/(6) से 735/1, 754/(2) से 754, 755, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 757/4, 757/3, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 782/(2) से 782, 796/1, 797, कुल क्षेत्रफल – 7.88 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी (नेट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में निर्धारित शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–सकर्ता, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 753/1, 735/(6) से 735/1, 754/(2) से 754, 755, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 757/4, 757/3, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 782/(2) से 782, 796/1, 797, कुल क्षेत्रफल – 7.88 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी (नेट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में निर्धारित शर्तें यथावत् रहेंगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–हाहालदूदी, तहसील–दुर्गकोण्डल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 795)

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–हाहालदूदी, तहसील–दुर्गकोण्डल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को ग्राम–हाहालदूदी एवं धमड़ा, तहसील–दुर्गकोण्डल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित वन कक्ष क्रमांक 641 एवं 642, कुल क्षेत्रफल – 75 हेक्टेयर में आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता – 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Above threshold value, +45% Fe) एवं 0.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Below threshold value, -45% Fe which is part of overburden)) तथा ली ग्रेड आयरन ओर का उपयोग करने हेतु नए आयरन ओर बेनिफिशिएशन प्लांट (नेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के पत्र क्रमांक 248, दिनांक 18/06/2020 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उद्योग द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न बिन्दुओं पर संशोधन चाहा गया है–

1. "मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड" से "मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड" किये जाने।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति में 12 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर द्वारा क्षेत्रफल 75 हेक्टेयर में से 23.87 हेक्टेयर क्षेत्र में भू–प्रवेश एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति में खपत फ्रेश वाटर – 110 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वाटर 290 घनमीटर प्रतिदिन का उल्लेख किया गया है। जबकि वास्तव में फ्रेश वाटर – 290 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वाटर 110 घनमीटर प्रतिदिन है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संपन्न 88वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. उद्योग द्वारा प्रस्तुत फार्म–2, ई.आई.ए. रिपोर्ट, अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं अन्य जानकारियों में उद्योग का नाम "मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड" है। कार्यवाही विवरण एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लिपिकीय त्रुटिवश उद्योग का नाम "मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड" अंकित हो गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 295/खनिज/ख.प./2014 कांकेर, दिनांक 07/07/2018 के अनुसार "पूर्व में जारी कार्यादेश 11.87 हेक्टर के अतिरिक्त 12.00 हेक्टर कुल 23.87 हेक्टर क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्रदान किया जाता है।" जबकि कार्यवाही विवरण एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लिपकीय त्रुटिवश "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 295/खनिज/ख.प./2014 कांकेर, दिनांक 07/07/2018 द्वारा क्षेत्रफल 75 हेक्टेयर में से 12 हेक्टेयर क्षेत्र पर भू–प्रवेश एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।" अंकित हो गया है।

3. उद्योग द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं किये गये प्रस्तुतीकरण में फ्रेश वाटर – 290 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वाटर 110 घनमीटर प्रतिदिन होना बताया गया है। कार्यवाही विवरण एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लिपकीय त्रुटिवश फ्रेश वाटर – 110 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वाटर 290 घनमीटर अंकित हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यवाही विवरण एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में उद्योग का नाम "मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड" के स्थान पर "मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड" पढ़ा जावे।

2. कार्यवाही विवरण एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 295/खनिज/ख.प./2014 कांकेर, दिनांक 07/07/2018 द्वारा क्षेत्रफल 75 हेक्टेयर में से 12 हेक्टेयर क्षेत्र पर भू–प्रवेश एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।" के स्थान पर "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 295/खनिज/ख.प./2014

कांकेर, दिनांक 07/07/2016 के अनुसार पूर्व में जारी कार्यादेश 11.87 हेक्टर के अतिरिक्त 12.00 हेक्टर कुल 23.87 हेक्टर क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है" पढ़ा जावे।

3. कार्यवाही विवरण एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में "फ्रेश वाटर – 110 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वाटर 290 घनमीटर प्रतिदिन" के स्थान पर "फ्रेश वाटर – 290 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वाटर 110 घनमीटर प्रतिदिन" पढ़ा जावे।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त आशय बाबत् संशोधन जारी करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए।

3. मेसर्स श्री चेतन आनंद चौधरी (कोटरासरार सेण्ड माईन, ग्राम–कोटरासरार, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव), बीएनसी मिल कॉलोनी, जिला–राजनांदगांव (संचिकालय का नस्ती क्रमांक 1037)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127142/2019, दिनांक 28/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कोटरासरार, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव लिंक पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 616, कुल लीज क्षेत्र 2.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–52,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावे। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा खदान की चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धीरज आनंद चौधरी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटरासमार का दिनांक 02/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 9326/खनि02/रेत(खदान)/न.क. 315/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2977/खनि. 03/2019 राजनांदगांव,

दिनांक 22/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2977/ख.नि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 21157/ख.नि. 06/2019 राजनांदगांव, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोटरासतार 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल कोटरासतार 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के अपस्ट्रीम में 800 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है। एनीकट की दूरी 400 मीटर से अधिक है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 52,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी अथवा नहीं? संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

12. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) डाटा दिनांक 25/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परारी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान उपलब्ध टेम्परारी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। समिति वांछित सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 12	2%	Rs. 0.24	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Kotrasarar	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.45
			Total	Rs. 0.45

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का पिट बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर पिट मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। पिट मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/03/2020 की परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/05/2020 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई।

(ख) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.5 मीटर से 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
3. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
4. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 190 मीटर, न्यूनतम 165 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 90 मीटर दर्शाई गई है।
5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। यह एक नई खदान है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवम चौधरी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पुल खदान से 800 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में एवं एनीकट खदान से 365 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।

2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि –

i. नये Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार–

"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side."

ii. वर्तमान में लीज एनीकट से 365 मीटर की दूरी पर स्वीकृत है। नये गाइडलाईन अनुसार स्वीकृत रेत खदान के अपस्ट्रीम में एनीकट से कम से कम 500 मीटर क्षेत्र छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः लीज में अतिरिक्त 135 मीटर लंबाई को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत की जानी होगी तथा तदनुसार माईनिंग प्लान में संशोधन कराया जाना होगा।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. नये गाइडलाईन अनुसार रेत उत्खनन हेतु अतिरिक्त 135 मीटर को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित करते हुए गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना की जाए। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन कर खनिज विभाग से अनुमोदन कराया जाए तथा संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवम चौधरी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 980/ख.नि. 06/2020 राजनांदगांव, दिनांक 08/06/2020 द्वारा खदान के नये को–ऑर्डिनेट आवंटित किये जाने संबंधी जानकारी एवं नये को–ऑर्डिनेट के अनुसार एनीकट 585 मीटर, कुल 580 मीटर की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है। नये को–ऑर्डिनेट निम्नानुसार है:–

S.No.	Latitude	Longitude
1.	21°02' 18.95"	80°58' 28.06"
2.	21°02' 18.11"	80°58' 39.50"
3.	21°02' 15.53"	80°58' 39.40"
4.	21°02' 16.38"	80°58' 28.25"

2. **संशोधित उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /खनि02/खा.रेत/संशोधित मा.प्ल.अनु /ने.क्र.15/2020 नया रायपुर, दिनांक 17/06/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 165 मीटर तथा खनन स्थल की औसतन लंबाई – 327 मीटर, चौड़ाई – 78 मीटर से 80 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से उत्तर दिशा से दूरी 18 मीटर एवं दक्षिण दिशा से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 78 मीटर है।

4. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 52,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

6. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 09/06/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

7. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16	2%	0.48	Following activities at Nearby Government Anganbadi kendra, Village-Kotrasarar	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Potable Drinking water Facility	0.18
			Total	0.48

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–ओटरासरार) का रकबा 2.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 900 नग पौधे – 450 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 450 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत साइट अध्ययन (Sitation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं फिक्स बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) इन्हीं फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री चेतन आनंद चौधरी, कोटरासरार सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 616, ग्राम–कोटरासरार, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्रफल 2.8 हेक्टेयर क्षेत्र (नवीन को–ऑर्डिनेट्स अनुसार) में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 39,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को सम्पन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री चेतन आनंद चौधरी, कोटरासरार सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 616, ग्राम–कोटरासरार, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्रफल 2.8 हेक्टेयर क्षेत्र (नवीन को–ऑर्डिनेट्स अनुसार) में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 39,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. **मेसर्स श्री जय कुमार सोनी (मोतीसागर सेण्ड माईन, नगर पालिक निगम कोरबा, ग्राम–मोतीसागर, तहसील व जिला–कोरबा), एस.एस. ग्रीन–51, तुलसी नगर, वार्ड नं. 02, तहसील व जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1270)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए सीजी / एमआईएन/ 150283/2020, दिनांक 22/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान नगर पालिक निगम कोरबा, ग्राम–मोतीसागर, तहसील व जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 1048 व अन्य 14, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 86,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सचिवालय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त चिन्हांकित/सीमांकित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

4. नदीतट की खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में

उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जय कुमार सोनी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नगर पालिक निगम कोरबा का दिनांक 26/10/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा), कार्यालय कलेक्टर, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 910/खनि–6/2020 कोरबा, दिनांक 17/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 896/खनि–03/रेत नी. (मोतीसागर)/न.क. 03/2019 कोरबा, दिनांक 17/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 895/खनि–03/रेत नी.(मोतीसागर)/न.क. 03/2019 कोरबा, दिनांक 17/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** — एल.ओ.आई. श्री जय कुमार सोनी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 23/खनि–03/रेत नी. (मोतीसागर)/न.क. 03/2019 कोरबा, दिनांक 30/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम–मोतीसागर 0.5 कि.मी., स्कूल मोतीसागर 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल कोरबा 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.8 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 950 मीटर, न्यूनतम 690 मीटर तथा खनन स्थल की की लंबाई – 400 मीटर, चौड़ाई – 120 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नजदीकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 225 मीटर एवं अधिकतम दूरी 245 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 86,400 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.96 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:–

    i. पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 1046 अन्य 14 कुल 15, क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर, क्षमता– 1,36,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरबा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2019 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री जय कुमार सोनी के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1961 खनि–02/रेत नी. (मोतीसागर)/न.क्र. 03/2019 कोरबा, दिनांक 30/06/2020 के अनुसार वर्ष 2017–18 में 1,30,800 घनमीटर, 2018–19 में 1,11,000 घनमीटर एवं 2019–20 (दिनांक 09/03/2020 तक) में 75,000 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

    v. निर्धारित शर्तानुसार 200 पौधे का रोपण किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, जहाँ खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
610	2%	12.2	Following activities at Nearby Government Schools **within 5 km area of Nagar Palik Nigam Korba**	
			Rain Water Harvesting System	6.75
			Potable Drinking water Facility	1.15
			Solar Lighting System	3.40
			Plantation	0.90
			Total	**12.20**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लीजर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदेव नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (ग्राम–मोतीसागर) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं बिंदुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम

में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री जय कुमार सोनी, मोतीसागर सैण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1048 व अन्य 14, नगर पालिक निगम कोरबा, ग्राम–मोतीसागर, तहसील व जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री जय कुमार सोनी, मोतीसागर सैण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1048 व अन्य 14, नगर पालिक निगम कोरबा, ग्राम–मोतीसागर, तहसील व जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. मेसर्स श्रीमती रिंकी भारद्वाज (लागीसरार सैण्ड माईन, ग्राम–लागीसरार, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद), प्रगति नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1303)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 153696/2020, दिनांक 18/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–लागीसरार, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 48, कुल लीज क्षेत्र 3.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन कांदाझरी नाला (नदी) से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–37,987.61 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत किये जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमनदीप सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उरवा का दिनांक 22/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1888/खनि/02/रेत/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.12/2020 नया रायपुर दिनांक 19/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 307/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 04/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 307/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. धौमती रिंकी भण्डारकर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 125/ख.नि./रेत नीलामी/न.क्र./19 महासमुंद, दिनांक 20/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लामीसराय 0.83 कि.मी., स्कूल ग्राम–लामीसराय 0.82 कि.मी. एवं अस्पताल खरियार रोड 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 480 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 230 मीटर, न्यूनतम 135 मीटर तथा खनन स्थल की की लंबाई – अधिकतम 837 मीटर, न्यूनतम 823 मीटर चौड़ाई – 36 मीटर से 88 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के दक्षिणी–पश्चिमी किनारे से दूरी अधिकतम 52 मीटर, न्यूनतम 15 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.18 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.15 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 37,987 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.17 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 17/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
29.38	2%	0.59	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Lamisarar	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Running water facility for Toilets	0.10

			Plantation	0.05
			Total	**0.79**

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – अनुमोदित माईनिंग प्लान में नये गाइडलाईन अनुसार खदान पुल के अपस्ट्रीम में होने के कारण, पुल से 500 मीटर दूरी का क्षेत्र खनन हेतु प्रतिबंधित करने पर कुल 1.297 हेक्टेयर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 3.87 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.15 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की तार्किक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कांवाझरी नाला (नदी) छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (ग्राम–लामीशरार) का रकबा 3.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत साइट अध्ययन (Sitation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्रीमती रिंकी भारद्वाज, लामीसराय लेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 48, ग्राम–लामीसराय, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्रफल 3.8 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 1.297 घनमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.87 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 36,700 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्रीमती रिंकी भारद्वाज, लामीसराय लेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 48, ग्राम–लामीसराय, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्रफल 3.8 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 1.297 घनमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.87 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 36,700 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. मेसर्स श्रीमती कविता पारेख (कलदेवपुर लाईम स्टोन माईन), ग्राम–कलदेवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1015)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43871/2019, दिनांक 10/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से प्रापन दिनांक 09/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलदेवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 907 एवं 909/1, कुल क्षेत्रफल–0.667 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,274.88 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित लघुक्षेत्र पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 01/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(5) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भूपेन्द्र सिंह मनहूजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बलदेवपुर का दिनांक 07/02/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रभा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र/ख.नि./तीन–6/2016/3086, रायपुर, दिनांक 27/01/2017 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, क्वारी प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/89/ख.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 7 खदानें, क्षेत्रफल 6.76 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/89/ख.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती कविता पारेख के नाम पर है, लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/04/2007 से 27/04/2012 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 28/04/2012 से 27/04/2017 तक की अवधि हेतु वैध था। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 28/04/2017 से 27/04/2037 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि श्री संतोष सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र/ना.वि./813 राजनांदगांव, दिनांक 15/02/2007 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कल्देपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 8 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। तालाब 1.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,17,805 टन एवं माईनेबल रिजर्व 56,989 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.35 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। वर्तमान में 4 मीटर तक उत्खनन किया गया है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कार्टुश ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,232
द्वितीय	13,637
तृतीय	14,274
चतुर्थ	9,971
पंचम	10,830

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 900 नग पौधे का रोपण किया जाएगा।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के एक तरफ के कुछ भागों में उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 907 एवं 909/1, कुल क्षेत्रफल – 0.667 हेक्टेयर, क्षमता – 14,274.88 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 848/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव दिनांक 18/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2007–2008	250
2008–2009	700
2009–2010	651
2010–2011	180
2011–2012	110
2012–2013	86
2013–2014	225
2014–2015	3,550
2015–2016	6,257
2016–2017	2,700
2017–2018	500
2018–2019	2,900
2019–2020	700

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/89/ख.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 7 खदानें, क्षेत्रफल 6.76 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बल्देवपुर) का रकबा 0.667 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बल्देवपुर) को मिलाकर कुल रकबा 7.4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये संशोधित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vi. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/06/2020 को सम्पन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

7. **मेसर्स श्री नारायण दास लौहानी (जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1019)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44167/2019, दिनांक 14/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 165/4, कुल क्षेत्रफल– 0.486 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 6,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 01/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों एवं जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नारायण दास लोहानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान, क्वारी कम इन्वायरमेंट मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./ख.नि./तीन–6/2017/3287, रायपुर, दिनांक 09/02/2017 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4050/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 10 खदानें, क्षेत्रफल 11.58 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यारानीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच पूरी तरह सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु हमेटाइटिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्यारानीन खदान की लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4050/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज श्री नारायण दास लौहानी के नाम पर है, लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/05/1994 से 19/05/1999 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 19/05/1999 से 18/05/2009 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 19/05/2009 से 18/05/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 19/05/2014 से 18/05/2024 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./ग.क्र. 10–1/2020/1399 राजनांदगांव, दिनांक 08/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्रमांक 549 से 0.56 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़ीपार 1 कि.मी., स्कूल राजनांदगांव 10 कि.मी., अस्पताल ग्राम–मुड़ीपार 1 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन 0.20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8 कि.मी. एवं छोटा नाला 1.5 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 87,200 टन एवं माईनेबल रिजर्व 88,816 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 52,336 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.22 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,800 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000
छठवें	6,000
सातवें	6,000

आठवें	8,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में बाड़ी और 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 800 नग पौधे का रोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के बाड़ी और 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 8 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 169/4, कुल क्षेत्रफल – 0.486 हेक्टेयर, क्षमता – 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1635/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव दिनांक 27/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
सितम्बर 1997 से दिसम्बर 1998	700
जनवरी 1999 से दिसम्बर 1999	970
जनवरी 2000 से दिसम्बर 2000	380

जनवरी 2001 से दिसम्बर 2001	266
जनवरी 2002 से दिसम्बर 2002	340
जनवरी 2003 से दिसम्बर 2003	1,395
जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004	898
जनवरी 2005 से दिसम्बर 2005	2,065
जनवरी 2006 से दिसम्बर 2006	692
जनवरी 2007 से दिसम्बर 2007	7,170
जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008	5,060
जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009	7,410
जनवरी 2010 से दिसम्बर 2010	6,440
जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011	7,123
जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012	9,000
जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013	8,900
जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014	6,050
जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015	निरंक
जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016	निरंक
मई 2017 से नवम्बर 2017	4,070
जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018	6,570
जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019	4,115

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतपेश पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4050/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 10 खदानें, क्षेत्रफल 11.56 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-जोरातराई) का रकबा 0.496 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-जोरातराई) को मिलाकर कुल रकबा 12.06 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संचालित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण

नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये सम्बन्धित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) माईन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authourity for use of ground water.

v. Project Proponent shall submit NOC from Gram Panchayat.

vi. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.

vii. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

ix. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

8. **मैसर्स शिवलाल बकधारी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1176)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 143296/2020, दिनांक 14/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 320/3(पार्ट) एवं 320/4 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.68 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 25,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 01/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल पटवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का दिनांक 21/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान अलग किये क्वारी क्लोजर प्लान किये इन्वायरमेंट मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रभा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./ख.नि./टीन–6/2016/321, रायपुर, दिनांक 08/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4013/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 14 खदानें, क्षेत्रफल 17.05 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यारधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (तथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्यारधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4013/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार

उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री शिवलाल बघेल के नाम पर है। प्रारंभिक लीज डीड 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 12/10/2006 से 11/10/2011 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 12/10/2011 से 11/10/2016 तक की अवधि हेतु किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड में दिनांक 12/10/2016 से 11/10/2036 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि श्री शिवलाल बघेल एवं श्री भागीरथी बघेल के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री भागीरथी बघेल का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./म.क्र. 10–1/2020/1336 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.4 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जोंदालवाई 3 कि.मी., स्कूल 1.23 कि.मी., अस्पताल 1.27 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन 0.11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 6.8 कि.मी. एवं भीसमी नाला 0.28 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,77,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,18,262 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,264 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में आवास स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,960
द्वितीय	25,960
तृतीय	25,960

चतुर्थ	25,960
पंचम	25,960
छठवें	25,960
सातवें	25,960
आठवें	25,960
नौवें	25,960
दसवें	19,116

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 550 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग में उत्खनन किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनर्भराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 320/3(पार्ट) एवं 320/4 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 1.86 हेक्टेयर, क्षमता – 25,960 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 30/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

17. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च याचिका विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4013/खनि 02/2019 राजनांदगांव दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 14 खदानें, क्षेत्रफल 17.05 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-जोगातराई) का रकबा 1.66 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-जोगातराई) को मिलाकर कुल रकबा 18.71 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन की कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये संयुक्त उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project Proponent shall submit the Environment Clearance copy and its Compliance report.

v. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.

vi. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

viii. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

9. मेसर्स जोरालराई लाईम स्टोन माईन (श्री मागीरथी बकधारी), ग्राम–जोरालराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (संचिकालय का नस्ती क्रमांक 1187)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 143721/2020, दिनांक 17/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरालराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 186, कुल क्षेत्रफल–1.437 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 20,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विस्तृत चर्चा **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

i. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात

निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उपलब्ध सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मांगी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोराताराई का दिनांक 31/05/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान अलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इनवायरोमेंट मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है। जो उप संचालक (खनि.प्रभा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र/तीन–6/ख.नि./2016/317 रायपुर, दिनांक 06/02/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4011/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर

अवस्थित अन्य 11 खदानें, क्षेत्रफल 12.13 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4011/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज श्री भागीरथी चक्रधारी के नाम पर है, लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/12/1991 से 13/12/1996 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 14/12/1996 से 13/12/2006 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 14/12/2006 से 13/12/2011 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का तृतीय नवीनीकरण दिनांक 14/12/2011 से 13/12/2016 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज धारक द्वारा दिनांक 10/06/2015 को 10 वर्ष की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10–1/2020/1403 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम स्कूल एवं अस्पताल 0.83 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन 0.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.4 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 7.3 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,36,562 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,63,888 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.11 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। है। वर्तमान में 8–10 मीटर तक उत्खनन किया गया है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में जल्लार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000
छठवें	20,000
सातवें	20,000
आठवें	20,000
नौवें	20,000
दसवें	20,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनर्भराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

'The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt

shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 166, कुल क्षेत्रफल – 1.437 हेक्टेयर, क्षमता – 20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 30/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4011/खनि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 11 खदानें, क्षेत्रफल 12.13 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जोगातराई) का रकबा 1.437 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोगातराई) को मिलाकर कुल रकबा 13.57 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के सातों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपयोगी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्सर्जन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) माईन क्लोज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project Proponent shall submit the Environment Clearance copy and its Compliance report.

v. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.

vi. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

viii. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

10. मेसर्स जोरातराई लाईम स्टोन माईन (श्री भागीरथी चक्रधारी), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1191)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 144318/2020, दिनांक 20/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 166, कुल क्षेत्रफल–0.561 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 8,880 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मापात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मापात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. उत्खनन योजना की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (**Corporate Environment Responsibility**) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोगतराई का दिनांक 31/05/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान अलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./ख.लि./सीम-6/2016/319, रायपुर, दिनांक 08/02/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4012/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 11 खदानें, क्षेत्रफल 13 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहां तक शामिल किया जाए, जहां तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4012/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज श्री भागीरथी चक्रधारी के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/01/1998 से 03/01/2008 तक की अवधि हेतु है। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 04/01/2008 से 03/01/2011 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का

द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 04/01/2011 से 03/01/2021 तक की अवधि हेतु किया है। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 04/01/2021 से 03/01/2026 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./न.क. 10–1/2020/1391 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.6 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिरेझर 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–बिरेझर 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बिरेझर 0.81 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.84 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 15 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 65,482 टन एवं माईनेबल रिजर्व 27,104 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.95 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कण्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,850
द्वितीय	6,850
तृतीय	6,850
चतुर्थ	6,850
पंचम	6,850
छठवें	6,850

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन ऑल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 166, कुल क्षेत्रफल – 0.561 हेक्टेयर, क्षमता – 6,850 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सरोज पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4012/खनि, 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 11 खदानें, क्षेत्रफल 13 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) का रकबा 0.561 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) को मिलाकर कुल रकबा 13.56 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र को उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the compliance report of Environment Clearance.

v. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.

vi. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

viii. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

11. मेसर्स श्री प्रवीण कुमार जैन (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1193)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 144421/2020, दिनांक 20/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 320/2 एवं 320/13, कुल क्षेत्रफल– 1.823 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 37,005 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप कुमार जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा गठित, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का दिनांक 13/09/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंगप्लेन क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रका.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र/ख.नि./तीन-6/2017/716, रायपुर, दिनांक 14/09/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4022/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 16 खदानें, क्षेत्रफल 18.6 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यारकीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों की बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्यारकीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहां तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4022/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर,

मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि :- प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री प्रवीण कुमार जैन के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/10/1997 से 15/10/2007 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 16/10/2007 से 15/10/2017 तक की अवधि हेतु शेष है। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 16/10/2017 से 15/10/2027 तक की अवधि हेतु पृष्ठि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./न.क. 10–1/2020/1409 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.8 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिरेझर 0.95 कि.मी., स्कूल ग्राम–बिरेझर 1.07 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बिरेझर 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.47 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.2 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 7 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,81,627 टन, माईनेबल रिजर्व 4,38,180 टन एवं रिकवरेबल 4,16,271 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.27 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	35,610
द्वितीय	37,005
तृतीय	35,760
चतुर्थ	35,760
पंचम	35,760
छठवें	35,760
सातवें	35,760

आठवें	35.746
नौवें	35.700
दसवें	35.700

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनर्भराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 320/2 एवं 320/13, कुल क्षेत्रफल – 1.823 हेक्टेयर, क्षमता – 8.925 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेश पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4022/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 08/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 16 खदानें, क्षेत्रफल 18.6 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) का रकबा 1.923 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) को मिलाकर कुल रकबा 20.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन की कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लीज सूनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project Proponent shall submit the compliance report of Environment Clearance.

v. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.

vi. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone.

calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vii. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

12. मेसर्स श्री महेन्द्र शर्मा (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1239)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147873/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/06/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 259/1 एवं 260/1, कुल क्षेत्रफल – 1.15 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 20,021 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उत्खनन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2015 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी आवक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का दिनांक 07/09/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./टीम-6/खनि/2016/715, रायपुर, दिनांक 26/03/2016 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, क्वारी प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव को प्रेषित ज्ञापन अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 7 खदानें, क्षेत्रफल 8.87 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों की सीमा दूसरी उस संदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – न्यायालय नायब तहसीलदार, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2994/प्रशा.ना.तह./2018 राजनांदगांव, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रतिवेदन अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज डीड श्री जिन्नान खम्बेलाल के नाम पर थी। वर्तमान में भूमि एवं लीज श्री महेन्द्र शर्मा के नाम पर है। प्रथम लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/05/2011 से 24/05/2021 तक की अवधि हेतु है।

तत्पश्चात् लीज डीड में दिनांक 25/05/2021 से 24/05/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./न.क. 10–1/2020/1411 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.128 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम–बिरेझर 0.74 कि.मी., स्कूल ग्राम–बिरेझर 0.75 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बिरेझर 5.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.2 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 7 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** — जियोलॉजिकल रिजर्व 2,56,250 टन, माईनेबल रिजर्व 1,52,563 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,44,900 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर है। क्रीपर कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	2,430	3	7,290	17,314
	380	3	1,140	2,708
द्वितीय	2,810	3	8,430	20,021
तृतीय	990	3	2,970	7,054
	890	3	2,670	6,341
	930	3	2,790	6,626
चतुर्थ	400	3	1,200	2,850
	2,410	3	7,230	17,171
पंचम	1,050	3	3,150	7,481
	1,760	3	5,280	12,540

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के 6 मीटर की गहराई तक कुछ भागों में उत्खनन किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनर्भराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 259/1 एवं 260/1 कुल क्षेत्रफल – 1.15 हेक्टेयर, क्षमता – 20,021 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित ज्ञापन अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 7 खदानें, क्षेत्रफल 8.87 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) का रकबा 1.5 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) को मिलाकर कुल रकबा 10.02 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये संयुक्त उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the compliance report of Environment Clearance.

v. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.

vi. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

viii. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 500वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

13. मेसर्स श्रीमती मीना रंगलानी (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1083वीं)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44498/2017, दिनांक 28/12/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 235/3 एवं 242, कुल क्षेत्रफल–1.498 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–28,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 16/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 300 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

6. प्रीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रपत्र फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरुण कुमार रंगलानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा का दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (विथ इन्वायरोमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रका.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र/खनि/तीन–6/2017/3710 रायपुर, दिनांक 20/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2787/ख.नि. 03/2018 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 8 खदानें, क्षेत्रफल 5.42 हेक्टेयरसीमा बताया गया है। जिसमें केवल विधारधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित

खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2787/ख.नि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती मीना रंगलानी के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/07/2009 से 28/07/2009 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का नवीनीकरण दिनांक 29/07/2009 से 28/07/2014 तक किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड में दिनांक 29/07/2014 से 28/07/2029 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल छैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./न.क्र. 25/1128 छैरागढ़, दिनांक 17/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 4.1 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 0.6 कि.मी., स्कूल ग्राम–कलकसा 0.6 कि.मी. एवं अस्पताल बलेटवपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 5 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,99,600 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,70,016 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,290 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। भू–भाग में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र लगभग 4,290 वर्गमीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं

चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	4,667	3	14,000	28,000
द्वितीय	4,667	3	14,000	28,000
तृतीय	4,667	3	14,000	28,000
चतुर्थ	4,667	3	14,000	28,000
पंचम	4,667	3	14,000	28,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 235/3 एवं 242, कुल क्षेत्रफल – 1.498 हेक्टेयर, क्षमता – 28,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोदबाजार द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार पृष्ठारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक / 899 / ख.नि.03 / राजनांदगांव, दिनांक 27 / 06 / 2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2005–06	400
2006–07	400
2007–08	1,675
2008–09	1,620
2009–10	1,700
2010–11	2,820
2011–12	971
2012–13	280
2013–14	420
2014–15	30
2015–16	0
2016–17	0
2017–18	5,840
2018–19	7,115
2019–20	8,630

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रतपेद पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक / 2787 / ख.नि. 03 / 2019 राजनांदगांव, दिनांक 04 / 11 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 6 खदानें, क्षेत्रफल 5.42 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) का रकबा 1.498 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) को मिलाकर कुल रकबा 6.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई –

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattagarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vi. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 106वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

14. मेसर्स कंचन बेन चौहान (बाकल सोईल/ऑर्डिनरी क्ले क्वारी), ग्राम–बाकल, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 999)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44545/2019, दिनांक 05/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/04/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बाकल, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 287, कुल क्षेत्रफल–1.943 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वासीकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेश चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पनेका का दिनांक 29/03/1997 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत) किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रक्ष.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./ख.नि./तीन-6/2016/3080 रायपुर, दिनांक 27/01/2017 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/3079/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 3.96 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदान का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/3079/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती कंचन बेन चौहान के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/10/1997 से 15/10/2007 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 16/10/2007 से 15/10/2012 तक की अवधि हेतु किया गया। लीज डीड का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 16/10/2012 से 15/10/2017 तक की अवधि हेतु किया गया है। तत्पश्चात् लीज डीड में दिनांक 16/10/2017 से 15/10/2027 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री महेश चौहान एवं श्रीमती कंचन बेन चौहान के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./भा.वि./न.क्र. 10–1/2020/2788 राजनांदगांव, दिनांक 13/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 19.7 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी बाकल 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल मोहला 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.2 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 38,860 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 34,570 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 29,613 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (837 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। प्रस्तावित बिगनी की ऊंचाई 38 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
प्रथम	600	2	1,200	1,800
द्वितीय	600	2	1,200	1,800
तृतीय	600	2	1,200	1,800
चतुर्थ	600	2	1,200	1,800
पंचम	600	2	1,200	1,800

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
छठवें	600	2	1,200	1,800
सातवें	600	2	1,200	1,800
आठवें	600	2	1,200	1,800
नौवें	600	2	1,200	1,800
दसवें	600	2	1,200	1,800

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की

आपूर्ति नदी एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं अतिरिक्त 100 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र में 7 से 8 बड़े वृक्ष लगे हुये है। इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा।

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनिंग प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व हेतु किये गये सपना में विमनी के क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक्ड एरिया एवं रिजर्व की गणना नहीं की गई है। अतः उक्त का समावेश कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 287/2, कुल क्षेत्रफल – 1.943 हेक्टेयर, क्षमता – 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1639/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	ईंट उत्पादन (नग)	फ्लाई ऐश (घनमीटर)	कच्चा माल (घनमीटर)	मिट्टी उत्पादन (घनमीटर)
1997	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
1998	1,00,000	100	200	100
1999	2,90,000	290	580	290
2000	58,000	459	918	459
2001	4,75,000	475	950	475
2002	6,20,000	620	1240	620
2003	7,15,000	715	1430	715
2004	7,00,000	700	1,400	700
2005	6,00,000	600	1,200	600
2006	6,10,000	610	1,220	610
2007	5,50,000	550	1,100	550

2008	35,000	350	700	350
2009	5,00,000	500	1,000	500
2010	5,50,000	550	1,100	550
2011	5,25,000	525	1,050	525
2012	3,50,000	350	700	350
2013	3,70,000	370	740	370
2014	1,96,000	196	392	196
2015	1,45,000	145	290	145
2016	3,30,000	330	660	330
2017	3,52,000	352	704	352
2018	4,45,000	445	890	445
2019	2,25,000	225	450	225

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/3079/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 3.96 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बाकल) का रकबा 1.943 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बाकल) को मिलाकर कुल रकबा 5.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टैक्सेशन के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project Proponent shall submit proposal for transfer of brick kiln within or outside the mine lease area and accordingly mining plan shall be revised.

iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project Proponent shall submit the details of coal requirement, disposal of fly ash and broken / defective bricks.

v. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

vi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

15. मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड (क्र.म. हाउसिंग बोर्ड डिविजन, जगदलपुर), ग्राम–निथानार, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1285)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/ 52881/2020, दिनांक 16/04/2020।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–निथानार, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर में प्रस्तावित कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का कुल प्लॉट क्षेत्रफल – 4,78,800 वर्गमीटर (118 एकड़) एवं बिल्टअप क्षेत्रफल – 3,91,306.08 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूपये 1,995 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
2. स्थान प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।

5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चंद्रकुमार ठाकुर, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नकशे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–नियानार 1.19 कि.मी., शहर जगदलपुर 5.56 कि.मी., स्कूल जगदलपुर 4.64 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन जगदलपुर 3.92 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 6.23 कि.मी. दूर है। परियोजना अंतर्गत वन भूमि का क्षेत्र नहीं आता है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

Particulars	Area (M^2)
Total site area	4,78,600
Permissible ground coverage @ 30%	1,43,580
Proposed ground coverage @ 13.02% of site area	62,304.39
Total Permissible FAR @ 1.25	5,98,250
Total FAR Proposed @ 0.66	3,18,056.08
Non FAR area & basement area	73,250
Builtup area	3,91,306.08
Landscape area (@ 67.57%) (With Playground and golf)	3,23,375.27
Unplanned landscape (@ 5.39%)	25,799.75
Open area (@ 72.96%)	3,49,175.02
Road area (@ 14.02%)	67,120.59
Parking area (Basement)	64,155
Maximum height of (Tower-A)	43.5 Meter
During Operational phase	
Unit Type	**Numbers**
Tower - A	1,540
Tower - B	332
Tower - C	165
Bungalow - D	24
Bungalow - E	1

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन किया गया है।

4. परियोजना हेतु सुविधाओं का उपयोग लगभग कुल 27,932 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

5. परियोजना के अंतर्गत जी+13 फ्लोर के बिल्डिंग, 50 बेड के अस्पताल, कमर्शियल बिल्डिंग एवं ऑडिटोरियम का निर्माण आर्य किया जाएगा। बिल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई 43.5 मीटर होगी। इस बाबत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाएगी।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु तीन बिन पद्धति अपनायी जाएगी। डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था रखी जाएगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन–बायोडिग्रेडेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का उपयोग खाद बनाने में किया जाएगा। नॉन–बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट एवं इनर्ट अपशिष्ट को शासकीय अधिकृत रिसायकलर को उपलब्ध कराया जाएगा। उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों की मात्रा एवं अपवहन व्यवस्था संबंधी विस्तृत विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल स्त्रोत** – परियोजना हेतु जल की आपूर्ति इन्द्रावती नदी से की जाएगी। जल उपचार हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल के उपचार हेतु एसबीआर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 1,450 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, कलेक्शन टैंक, एसबीआर टैंक, फिल्टर फीड टैंक, स्लज थिकेनिंग टैंक, एम.एम.टी., प्रेशर सैण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, डिसइन्फेक्शन इकाई आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- अस्पताल से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ग्रीट चेंबर, प्राइमरी क्लेरीफायर, एक्टीवेटेड स्लज एरीएशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेरीफायर, स्लज थिकेनेशन सिस्टम, डिसइन्फेक्शन–न्यूट्रीएन्ट रिमूवल आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

- आवश्यक जल, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा एवं उपचार व्यवस्था संबंधी विस्तृत विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया गया है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स में सम्पन्न मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। विस्तृत विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

9. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 8.7 मेगावॉट की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 750 के.वी.ए., 6 नग 500 के.वी.ए. एवं 2 नग 380 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक्ली इन्क्लोजर में स्थापित किया जाएगा, जिससे संचरन विमनी की ऊंचाई सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर रखा जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – परियोजना अंतर्गत बाउण्ड्री में 2 लाईनों में सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट एवं शेष अपशिष्ट प्रबंधन के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

11. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थानों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। लेण्ड स्केपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य माह अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा एवं प्रारंभ करने से पूर्व सूचित किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 8(बी) टाउनशिप्स एण्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit land ownership documents.

ii. Project proponent shall submit revised land area statement of open area incorporating the area of roads, parking space, lawn, plantation and free space earmarking it on layout.

iii. Project proponent shall submit the layout approval letter from T & C planning and building permission from local authority.

iv. Project proponent shall submit NOC for high rise building from competent authority.

v. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between project site to Kanger Valley National Park.

vi. Project proponent shall submit the layout of proposed plantation work, earmarking atleast 20 meter width of land for plantation all along the boundary and dense plantation in the area of sewage treatment facilities.

vii. Project proponent shall submit copy of NOC from Water Resource Department, Government of Chhattisgarh for usage of surface water.

viii. Project proponent shall submit the proposal of solid waste generated and its management including domestic hazardous waste along with details of proposed organic waste convertor.

ix. Project proponent shall submit details of water requirement, waste water generated, and its treatment facility (Water Treatment Plant, STP & ETP) along with process flow diagram.

x. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

xi. Project proponent shall submit calculations regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

xiii. Project proponent shall explore feasibility for installation of solar power system within premises.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

16. मैसर्स कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जशपुर, दंडपानी मेजर टैंक प्रोजेक्ट, ग्राम–दंडपानी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर (संचिकालय का नस्ती क्रमांक 1296)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/आरआईवी/ 52880/2020, दिनांक 16/04/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रिवर वेली एवम हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना है। परियोजना ग्राम–दंडपानी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर स्थित कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 38,000 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। परियोजना की प्रस्तावित जल क्षमता – 36.6 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। परियोजना की कुल लागत 1,040 करोड़ है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसे:– मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. जलग्रहण क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. प्रस्तावित परियोजना में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजस्व, निजी स्वामित्व, बंजर आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibiley) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री डी.आर. पटी, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. यह परियोजना ईब नदी पर प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है—

No.	Description	Details
1	Site	Latitude - 23°43'24" N Longitude - 83°54'25" E
2	Type of Project	Earthen Dam Irrigation Project
3	River	Ib River
4	Catchment Area	1,475 km²
5	Gross Storage Capacity	36.5 Million Cum
6	Live Storage Capacity	31.2 Million Cum
7	Dead Storage Capacity	5.4 Million Cum
8	Area Proposed under Irrigation	38,000 ha (Kharif 30,000 ha & Rabi 8,000 ha)
9	Length of Dam	1,850 meter
10	Maximum Height of Dam	35.71 meter
11	River Bed Level	407.29 meter
12	Total Submergence Area	467 ha
13	Private Submergence Land Area	235 ha
14	Forest Submergence Area	11 ha
16	Govt. Area under Submergence	64 ha
17	Land Area under River and Nalla	157 ha
18	Number of Villages to be Benefited	104
19	Left Bank Main Canal (LBMC)	37 km
20	Right Bank Main Canal (RBMC)	100 km

3. प्रस्तावित परियोजना हेतु 2 स्थलों तथा ग्राम–कलिबा एवं ग्राम–दंडपानी के क्षेत्र का सर्वे किया गया। सर्वे की तुलनात्मक जानकारी निम्नानुसार है:–

Particulars	Site 1 Kaliba	Site 2 Dandpani
Catchment Area	1,391 km^2	1,475 km^2
Headwork Cost	33,388.24 lakhs	26,834.05 lakhs
Area under Submergence	1,148 ha	467 ha
River Bed Level	444.57 meter	407.29 meter
Villages affected	3	2
Houses affected	78	10
Cost of Compensation	Rs. 26,468 lakhs	Rs. 7,398.85 lakhs

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम–दंडपानी के स्थल को इस परियोजना हेतु चयन किया गया।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–दंडपानी 2 कि.मी., कुनकुरी शहर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।
- **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **भूमि का विवरण** – परियोजना ग्राम–दंडपानी में प्रस्तावित है। परियोजना का कुल डूबान क्षेत्रफल 467 हेक्टेयर है, जिसमें निजी स्वामित्व की भूमि का क्षेत्रफल 235 हेक्टेयर, शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 64 हेक्टेयर, वन भूमि का क्षेत्रफल 11 हेक्टेयर तथा नाला एवं नहर का क्षेत्रफल 157 हेक्टेयर है। वर्तमान में निजी स्वामित्व की भूमि को क्रय / अधिग्रहण नहीं किया गया है। वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।

6. परियोजना से कुनकुरी, दुलदुला, कांसाबेल एवं फरसाबहार विकासखण्ड के कुल 104 ग्राम लाभान्वित होंगे। परियोजना अंतर्गत अनलाईन्ड केनाल (Unlined Canal) का निर्माण प्रस्तावित है।

7. परियोजना के अंतर्गत Right Bank Main Canal (RBMC) में स्थित पहाड़ी क्षेत्र से 500 मीटर की इनक्लाईन्ड पाईप द्वारा 55 मीटर Level difference का उपयोग कर 4 मेगावाट जल विद्युत (Hydel Power) का उत्पादन किया जाएगा। इस हेतु पहाड़ी के प्रोफाइल का ही उपयोग किया जायेगा एवं पहाड़ी में टनल / कटिंग प्रस्तावित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में परियोजना को प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। केवल बजट में सर्वे का प्रावधान किया गया।

9. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Cuturable Command Area) – 50,000 हेक्टेयर से कम है तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसूची

में वर्णित सामान्य शर्तें लागू नहीं होती हैं। फलस्वरूप परियोजना बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(सी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लीफ सुनवाई सहित) सिंचाई वाली प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall incorporate point wise reply of SEAC letter dated 27.06.2020 in EIA report.

ii. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent shall explore the possibility of canal lining for conservation of water.

iv. Project proponent shall submit copy of stage - I Forest Clearance.

v. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/06/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लीफ सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

17. मेसर्स कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, शेखरपुर मेजर टैंक प्रोजेक्ट, ग्राम–ढोढ़ागांव, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1287)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीसी /आरआई/ 52894/2020, दिनांक 17/04/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित सिंचाई वाली परियोजना है। परियोजना ग्राम–ढोढ़ागांव, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा स्थित कुल रिजर्वायर – 512 हेक्टेयर, कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 22,500 हेक्टेयर में प्रस्तावित है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित किंगाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसे:– मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. प्रस्तावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उक्त संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

5. प्रस्तावित परियोजना में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजस्व, निजी स्वामित्व, बंजर आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रारूप फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.आर. वर्मा, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. यह परियोजना मैनी नदी पर प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

No.	Description	Details
1	Site	Latitude - 22°42'50" N Longitude – 83°36'35" E
2	Type of Project	Earthen Dam Irrigation Project
3	River	Maini River
4	Catchment Area	367.35 km^2
5	Gross Storage Capacity	59.84 Million Cum
6	Live Storage Capacity	57.3 Million Cum

7	Dead Storage Capacity	2.54 Million Cum
8	Area Proposed under Irrigation	22,500 ha (Kharif 20,000 ha & Rabi 2500 ha)
9	Length of Dam	1,975 meter
10	Maximum Height of Dam	46.55 meter
11	River Bed Level	494.95 meter
12	Total Submergence Area	512 ha
13	Private Cultivable Land	40 ha
14	Dence Forest Area	325 ha
15	Reserve Forest Area	3 ha
16	The State Govt. Area under Submergence	144 ha
17	Number of Villages Benefited	49
18	Right Bank Canal (RBC)	1670 meter

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–ढोडामाल 1 कि.मी., सीतापुर शहर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. दूर है।
- **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **भूमि का विवरण** – परियोजना ग्राम–ढोडामाल एवं तेंदुदंड में प्रस्तावित है। परियोजना का कुल डूबान क्षेत्रफल 512 हेक्टेयर है, जिसमें निजी स्वामित्व की सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर, शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 144 हेक्टेयर एवं वन भूमि का क्षेत्रफल 325 हेक्टेयर है। वर्तमान में निजी स्वामित्व की भूमि को क्रय नहीं किया गया है। वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।

5. परियोजना से सीतापुर, कन्सावडाल एवं पाथलगांव विकासखण्ड के कुल 49 ग्राम लाभान्वित होंगे।

6. परियोजना के डाउनस्ट्रीम में मैनी एनीकट 650 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट से उक्त क्षेत्र के कमाण्ड एरिया लगभग 1500 हेक्टेयर में की सिंचाई की जाएगी।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में परियोजना को प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। केवल बजट में कार्य का प्रावधान किया गया।

8. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 50,000 हेक्टेयर से कम है तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसूची में वर्णित सामान्य शर्तें लागू नहीं होती है। फलस्वरूप परियोजना बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट

क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(सी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) रिवर बेसी प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall incorporate point wise reply of SEAC letter dated 27.06.2020 in EIA report.

ii. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent shall submit copy of stage - I Forest Clearance.

iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/06/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

18. मेसर्स खैरागढ़ मिनरल्स (पार्टनर– श्री राहुल गहरवे, बल्देवपुर लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1304)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152124/2020, दिनांक 18/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 346/3,4,5,6, कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,345 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सत्रोपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरुण स्वामी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 22/03/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 888/खनि02/मा.प्र.अनुमोदन/भ.ज.वि./2019 नया रायपुर, दिनांक 11/02/2020 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, क्वारी प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/90/खनि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 10 खदानें, क्षेत्रफल 6.62 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस माइनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/90/खनि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री मनीन्द्र नाथ पात्र के नाम पर है, लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/12/2008 से 30/12/2013 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 31/12/2013 से 30/12/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में दिनांक 31/12/2018 से 30/12/2038 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि मेसर्स छैरागढ़ मिनरल्स (श्री अजय मसीह) के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल छैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./म.क्र. 25/1124 छैरागढ़, दिनांक 17/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 मीटर की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बल्देवपुर 0.7 कि.मी., स्कूल बल्देवपुर 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल छैरागढ़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 4.7 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,26,502 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,56,810 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.17 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। भू–भाग में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र लगभग 3,240 वर्गमीटर है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 13 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,600 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज होल्डर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,000
द्वितीय	15,000
तृतीय	15,000
चतुर्थ	15,000
पंचम	15,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.17 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी 1500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के पार्श्व और 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में (2 से 8 मीटर तक) उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि पश्चात उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव एवं वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा माईन लीज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 349/3,4,5,6, कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर, क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 31/03/2014 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 30/06/2014 तक (जारी दिनांक से 90 दिवस) की अवधि हेतु जारी की गई थी। तत्पश्चात् क्षमता – 15,300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/992/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव दिनांक 04/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (मीट्रिक टन)
2008–09	निरंक
2009–10	निरंक
2010–11	205
2011–12	31
2012–13	45
2013–14	1,510
2014–15	1,125
2015–16	2,020

2016–17	3,560
2017–18	2,500
2018–19	15,291.53
2019–20	15,300
अप्रैल 2020 से मई 2020 तक	2,410

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सल्लेट पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/90/ख.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 10 खदानें, क्षेत्रफल 8.62 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बल्देवपुर) का रकबा 0.809 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बल्देवपुर) को मिलाकर कुल रकबा 9.43 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में क्रीयाशील/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the compliance report of Environment Clearance.

v. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vii. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

19. सरपंच, ग्राम पंचायत कंचनपुर, ग्राम–कंचनपुर, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1594)

ऑफलाईन आवेदन – पूर्व में संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4078/ख.नि.–2/रेत/ग. क्र. 38/1996 रायपुर, दिनांक 17/06/2015 के द्वारा अवैधित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कंचनपुर, ग्राम पंचायत कंचनपुर, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 14, कुल लीज क्षेत्रफल – 5.696 हेक्टेयर में है। उत्खनन कुरकुट नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–87,094 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 20/01/2018 को संपन्न 247वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी/रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 14, क्षेत्रफल–5.696 हेक्टेयर, क्षमता–56,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान क्रमांक 4256 दिनांक 03/12/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।

2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की जानकारी:–** पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2018 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में कुरकुट नदी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आंकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 725 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 936.961 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 52,100.28 टन प्रतिवर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।

5. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 01 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 280 मीटर (280 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से कुरकुट नदी में रेत का पुनर्भराव हो जाता है।

6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनर्भरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।

7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं:–

   - प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आंकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों/जानकारियों का समावेश किया जाए तथा प्रस्तुत आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 01/01/2018 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में चाही गई जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/07/2018 एवं 18/07/2018 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की दिनांक 30/08/2018 को सपन्न 253वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:-

1. उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन करने एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रायपुर स्थित तकनीकी सलाहकार कंपनी मेसर्स अवनि जियो एक्सप्लोरेशन माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अध्ययन किया गया है।
2. नदी के स्वीकृत क्षेत्र पर रेत सतह का आर.एल. का मापन अधोहस्ताक्षरित भौमिकीविदों द्वारा पोस्ट-मानसून अवधि दिनांक 23/10/2016, प्री-मानसून अवधि दिनांक 20/06/2017 तथा पुन: पोस्ट-मानसून अवधि दिनांक 13/10/2017 को किया गया है। उपरोक्त वर्णित तिथियों पर फील्ड डाटा का संग्रहण किया गया है।
3. खदान क्षेत्र के निर्धारित स्थान पर आर.एल. के मापन हेतु GRAMIN MAKE GPS MODEL-GPS MAP64s का उपयोग किया गया है। क्योंकि GPS से 01 मीटर से कम का आर.एल. वैल्यु मापन सही स्थिति नहीं दर्शाता है। अतः 01 मीटर कम के Depression / Elevation को Tape से नापकर या Physically Visual गणना के आधार पर दिया गया है। सामान्य रूप से Depression / Elevation में स्पष्टता बनी रहे। अतः प्राप्त आंकड़ों को 0.5 मीटर Round up कर दर्शाया गया है। आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि हेतु डाटा शीट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुत आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि हेतु खनिज विभाग से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 206 दिनांक 17/10/2018 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/11/2018 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:-

1. वृक्षारोपण के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
2. मेसर्स अवनि जियो एक्सप्लोरेशन माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा तैयार गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु खनि निदेशक से प्रमाणित कराकर दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

समिति की दिनांक 06/12/2018 को सम्पन्न 263वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी थी कि उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में किए गए गणना त्रुटिपूर्ण है। गणना अनुसार कैचमेंट क्षेत्रफल 725 वर्ग किलोमीटर में वार्षिक वर्षा के आधार पर Dendy-Bolton Formula से गणना करते हुए कैचमेंट क्षेत्र में लगभग 52,100 टन प्रतिवर्ष अवसाद Sediment उत्पन्न होना प्रतिवेदित किया है, जबकि आवेदित उत्खनन क्षमता-87,094 घनमीटर (1,39,350 टन) प्रतिवर्ष है। गणना अनुसार कैचमेंट क्षेत्रफल पूरे नदी का लिया गया है। आवेदित प्रकरण में कुल लीज क्षेत्र 5.898 हेक्टेयर में कुल कैचमेंट के सेडीमेंट का लगभग 2.67 गुना रेत के उत्खनन का आवेदन है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। अतः आवेदन अमान्य करते हुये निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/01/2019 को संपन्न 82वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि डीयरेक्टर, मेसर्स अवनि जियो एक्सप्लोरेशन माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा दिनांक 10/01/2019 को प्रकरण पर पुनःविचार हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त प्राप्त पत्र में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रकरण पर पुनःविचार कर उपयुक्त अनुशंसा करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जाए।

समिति की 260वीं बैठक दिनांक 01/02/2019:

समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वांछनीय जानकारियां यथा प्री मानसून अवधि में नदी में रेत संग्रह का आर.एल. का मापन, आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी, फील्ड डाटा संग्रहणकर्ता एवं डाटा संग्रहण की अवधि तथा सुसंगत तथ्यों का समावेश (फोटोग्राफ्स) सहित वर्तमान में प्रस्तुत "प्री मानसून रिपोर्ट" में कर प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत आंकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु खनि निरीक्षक की उपस्थिति में आंकड़े लेते हुए खनि निरीक्षक से प्रमाणित कथनात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारियां/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक (सचिव) एवं खनि निरीक्षक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/03/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। वर्तमान में **अधिमानी बोलीदार (श्री आर्यन अग्रवाल)** द्वारा दिनांक 06/05/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन **क्रमांक 1894/ख.नि.–1/रेत नीलामी/2019** रायगढ़, दिनांक 26/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रेत उत्खनन नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से प्राप्त अधिमानी बोलीदार के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें निम्न तथ्य है:–

   खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2019 के द्वारा राज्य में गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" बनाया गया है। इस नियम में रेत उत्खनन नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से प्राप्त अधिमानी बोलीदार के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

   छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा नीलामी की प्रक्रिया उपरांत उपयुक्त अधिमानी बोलीदारों को संबंधित कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा एल.ओ.आई. जारी किया जाता है। जारी एल.ओ.आई. अनुसार अधिमानी बोलीदारों द्वारा रेत उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाता है।

3. अतः अधिमानी बोलीदारों द्वारा रेत उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक (सचिव) द्वारा प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. अधिमानी बोलीदार (श्री अर्पन अग्रवाल) को ऑनलाईन में नियमानुसार आवेदन किये जाने हेतु सूचित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

20. मैसर्स श्री अटल कुमार गोदवानी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1195)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 144555/2020, दिनांक 21/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मीन्स खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 320/18 एवं 320/19, कुल क्षेत्रफल–1.142 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 23,010 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 16/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अटल कुमार गोदमानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरतराई का दिनांक 26/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रका.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./ख.नि./तीन–6/2018/591 रायपुर, दिनांक 14/06/2018 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी कलेक्चर प्लान, क्वारी प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4010/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 10 खदानें, क्षेत्रफल 12.74 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4010/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री अटल कुमार गोदवानी के नाम पर है, लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/10/2018 से 04/10/2048 तक की अवधि हेतु है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय कमाण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./म.क्र. /10–1/2020/1413 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.6 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिरेझर 1.1 कि.मी., स्कूल ग्राम–बिरेझर 1.11 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बिरेझर 1.14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.09 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.84 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8.6 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – माईनिंग प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 5,13,900 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,30,355 टन बताया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत 2,548 टन उत्खनन किया गया है। वर्तमान में माईनेबल रिजर्व 2,27,810 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.34 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18.5 मीटर है। वर्तमान में उत्खनित क्षेत्र लगभग 3,123 वर्गमीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2,941 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	1,650	3	4,950	12,375
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	1,418	3	4,254	10,635
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	1,650	3	4,950	12,375
द्वितीय वर्ष द्वितीय बेंच	1,418	3	4,254	10,635
तृतीय वर्ष प्रथम बेंच	1,650	3	4,950	12,375
तृतीय वर्ष द्वितीय बेंच	1,418	3	4,254	10,635
चतुर्थ वर्ष प्रथम बेंच	1,650	3	4,950	12,375
चतुर्थ वर्ष द्वितीय बेंच	1,418	3	4,254	10,635
पंचम वर्ष प्रथम बेंच	1,426	3	4,278	10,695
पंचम वर्ष द्वितीय बेंच	1,128	3	3,384	8,460
पंचम वर्ष तृतीय बेंच	258	3	774	1,935
पंचम वर्ष चतुर्थ बेंच	256	3	768	1,920

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवें वर्ष तृतीय बेंच	1,650	3	4,950	12,375
छठवें वर्ष चतुर्थ बेंच	1,418	3	4,254	10,635
सातवें वर्ष तृतीय बेंच	1,650	3	4,950	12,375
सातवें चतुर्थ बेंच	1,418	3	4,254	10,635
आठवें वर्ष तृतीय बेंच	1,650	3	4,950	12,375
आठवें वर्ष चतुर्थ बेंच	1,418	3	4,254	10,635

नौवें वर्ष पंचम बैच	1,770	3	5,310	13,275
नौवें वर्ष छठवें बैच	1,298	3	3,894	9,735
दसवें वर्ष पंचम बैच	1,770	3	5,310	13,275
दसवें वर्ष छठवें बैच	1,298	3	3,894	9,735

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:–

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 320/18 एवं 320/19, कुल क्षेत्रफल – 1.142 हेक्टेयर, क्षमता – 23,010 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 19/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4010/खनि 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अपरिधित अन्य 10 खदानें, क्षेत्रफल 12.74 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) का रकबा 1.142 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) को मिलाकर कुल रकबा 13.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में

स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall incorporate point wise reply of SEAC letter dated 23.05.2020 in EIA report.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

v. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vii. Project Proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and submit the report alongwith photographs will be EIA report.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

21. मेसर्स श्री अटल कुमार गोयनका (नवागांव लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1232)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147503/2020, दिनांक 08/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नयागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल–1.319 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (**Corporate Environment Responsibility**) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अटल कुमार गोदवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का दिनांक 21/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रभाग), जिला–रायपुर की ज्ञापन क्रमांक क्र./ख.नि./तीन–6/2018/622 रायपुर, दिनांक 10/03/2018 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी ब्लॉक्स प्लान, क्वारी प्लान के आलोक में है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4017/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 4.61 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज की परिसीमा के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु हेमाटिनियम मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4017/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज श्री अटल कुमार गोदवानी के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/05/2004 से 16/05/2014 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की दिनांक 17/05/2014 से 16/05/2034 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./न.क्र. 10–1/2020/1407 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नवागांव 0.28 कि.मी., स्कूल ग्राम–नवागांव 0.71 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–नवागांव 0.72 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.17 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8.07 कि.मी. दूर है।एवं

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,74,220 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,23,691 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.19 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
प्रथम	2,666	1.5	3,999	10,000
द्वितीय	2,666	1.5	3,999	10,000
तृतीय	2,666	1.5	3,999	10,000
चतुर्थ	2,666	1.5	3,999	10,000
पंचम	2,666	1.5	3,999	10,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
छठवें	2,666	1.5	3,999	10,000
सातवें	2,666	1.5	3,999	10,000
आठवें	2,666	1.5	3,999	10,000
नौवें	2,666	1.5	3,999	10,000
दसवें	2,666	1.5	3,999	10,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के 1,854 वर्गमीटर में उत्खनन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 280/1, कुल क्षेत्रफल – 1.315 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सन्देह पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4017/खनि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 4.81 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नवागांव) का रकबा 1.315 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नवागांव) को मिलाकर कुल रकबा 5.92

हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall incorporate point wise reply of SEAC letter dated 23.05.2020 in EIA report.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

v. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

viii. Project Proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and submit the report alongwith photographs will be EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/05/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवमी

का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

22. मेसर्स श्री अटल कुमार गोदवानी (जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1237)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147901/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/06/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 269/1 2 3 4, 263/1 2 3, 264/1, 265/1 2, 266/1 2 एवं 270/2, कुल क्षेत्रफल – 2.242 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (ज्ञापन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अटल कुमार गोदवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोतलाई(ग) का दिनांक 26/08/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रभाग), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/सीम–6/ख.लि./2016/618, रायपुर, दिनांक 10/03/2016 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, क्वारी प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4016/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 11.64 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान की लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों को 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4016/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह भूमि एवं लीज श्री अटल कुमार गोदवानी के नाम पर है, लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/07/2007 से 19/07/2012 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 20/07/2012 से 19/07/2017 तक की अवधि हेतु किया था। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की दिनांक 20/07/2017 से 19/07/2037 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./न.क. 10–1/2020/1419 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.9 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिरेझर 0.64 कि.मी., स्कूल ग्राम–बिरेझर 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बिरेझर 1.1 कि.मी. की दूरी

पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.48 कि.मी. दूर है। सिंदनाथ नदी 6.6 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,94,450 टन, माईनेबल रिजर्व 4,31,595 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,88,435 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.62 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 28 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,000	1.5	6,000	15,000
द्वितीय	4,000	1.5	6,000	15,000
तृतीय	4,000	1.5	6,000	15,000
चतुर्थ	4,000	1.5	6,000	15,000
पंचम	4,000	1.5	6,000	15,000

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवें	4,000	1.5	6,000	15,000
सातवें	4,000	1.5	6,000	15,000
आठवें	4,000	1.5	6,000	15,000
नौवें	4,000	1.5	6,000	15,000
दसवें	4,000	1.5	6,000	15,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (8,177 वर्गमीटर) क्षेत्र के लगभग 2,800 वर्गमीटर में उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि

उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा माईनिंग कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 263/1,2,3, 264/1, 265/1,2, 268/1,2, 269/1,2,3,4 एवं 270/2, कुल क्षेत्रफल – 2.242 हेक्टेयर, क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की नहीं गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा वाल्चंद पण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4018/खनि 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 11.84 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जोगातराई) का रकबा 2.242 हेक्टेयर

है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोगतराई) को मिलाकर कुल रकबा 13.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कॉटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई –

i. Project proponent shall incorporate point wise reply of SEAC letter dated 27.06.2020 in EIA report.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

v. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

viii. Project Proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and submit the report alongwith photographs will be EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/06/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

23. मेसर्स एस.एस.डी. इंटरप्राईजेस (प्रो.– श्री सुनील कुमार गोदवानी), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1238)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147646/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीथ खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 320/7, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील कुमार गोदवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का दिनांक 28/11/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रभा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.नि./तीन–6/2016/625, रायपुर, दिनांक 10/03/2016 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी कलेजर प्लान, क्वारी प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4015/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 12.69 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4015/ख.नि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री सुनील गोदवानी के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/09/2001 से 13/09/2011 तक की अवधि हेतु की। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 14/09/2011 से 13/09/2021 तक की अवधि हेतु किया गया है। तत्पश्चात् लीज डीड में 10 वर्षों की दिनांक 14/09/2021 से 13/09/2031 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि श्री अटल कुमार गोदवानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./भ.क्ष. 10–1/2020/1401 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.6 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जोरातराई 1.13 कि.मी., स्कूल ग्राम–जोरातराई 1.38 कि.मी. एवं अस्पताल जोरातराई 1.38 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.87 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 6.6 कि.मी. दूर है। मनपठा वन क्षेत्र 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,15,042 टन, माईनेबल रिजर्व 3,16,241 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,84,617 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.22 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 28 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,666	1.5	3,999	10,000
द्वितीय	2,666	1.5	3,999	10,000
तृतीय	2,666	1.5	3,999	10,000
चतुर्थ	2,666	1.5	3,999	10,000
पंचम	2,666	1.5	3,999	10,000

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवें	2,666	1.5	3,999	10,000
सातवें	2,666	1.5	3,999	10,000
आठवें	2,666	1.5	3,999	10,000
नौवें	2,666	1.5	3,999	10,000
दसवें	2,666	1.5	3,999	10,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उल्लंघित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभरण कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 320/7, कुल क्षेत्रफल – 1.214 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4015/खनि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 12.68 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-जोरातराई) का रकबा 1.214 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-जोरातराई) को मिलाकर कुल रकबा 13.89 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall incorporate point wise reply of SEAC letter dated 27.06.2020 in EIA report.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

v. Project Proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

viii. Project Proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and submit the report alongwith photographs will be EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

24. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1313)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 53362/2020, दिनांक 28/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह नवीन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया– 0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित है। नवीन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं शेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 2.75 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा **तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. परियोजना हेतु निर्धारित किए गए प्रोसेस की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ ट्रीटमेंट फेसीलिटी की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किए जाने की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
4. प्राकृतिक वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
7. जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का अपवहन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. ले-आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
11. सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन मलिक, डॉयरेक्टर एवं श्री सायन मुखर्जी, असिस्टेंट मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –
   - समीपस्थ आबादी ग्राम-तुमिडीह 1.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.35 कि.मी. दूर है। पजहरा नदी 6 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एनएचएम/बीएमडब्ल्यू/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (बीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

3. **ट्रीटमेंट फेसीलिटी –**

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PLASMA PYROLYSIS INCINERATOR**

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	100 KG Per Hour
Type	Cylindrical Vertical (solid waste feeding)
Revolution	0.2 to 1 rpm
Volume	3 m^3
Moc (Shell)	SS310- 10mm Thick
Chamber Pressure	10-20 mm WC
Travel Speed	6.02 mtr Hr
Refractory Thick	25 mm
Girth Gear	MOC EN 19 Forged 8 Module Spur Gear Type
Inner Diameter of Kiln	1000 mm
Inner Length of Kiln	3000 mm
Tyre Wheel	250 wide 2 set
Flue Gas Velocity	1.3 mtr / Sec
Ash And Residue Separation	Ash Separator With Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanism
Explosion Safety Explosion	Davit Arrangement (internal)
Waster Loading Mechanism	Bucket Elevator With Hopper
Waste Receiving From Kiln Side	Hoper unit With Safety Door
Feeding unit	SHP
Nature / Category of waste	Incinerable bio-medical waste with Maximum 85% moisture Content
Heat Loss Fraction	0.05
Design Temperature	1400 °C
Source Of Energy	Electric
Combustion Efficiency	At Least 99 %
Temperature Resistance (Primary Chamber)	1400°C
Temperature Resistance (Secondary chamber)	1200°C
Preheating Time	Maximum One Hour
Temperature in Primary Chamber	800 + 50 °C and 800-50°C
Temperature in Secondary Chamber	1050 + 50 °C and 1050 – 50 °C
O_2 content in Primary Chamber	5%
Residence time for flue gas in Secondary Chamber	2 sec

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF SECONDARY CHAMBER**

Description	Specification
Type	Cylindrical Statical
Inclination	Vertical 90 or horizontal
Volume	2 m^3
MOC(Shell)	SS304 or MS 2062 refractory lined
Chamber pressure	10-20 mm WC
Refractory Thick	25 mm
Inner Size of chamber	1 m
Inner length of chamber	2 m
Tyre Wheel	250 wide 2 set
Flue gas velocity	1.9 m/sec
Ash and Residues Separation	Ash Separator with Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention Unit	High Pressure Air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Explosion Safety	Explosion Davit Arrangement (Internal) Top With Counter Weight Linked With PLC Control
Retention time of flue gases in Chamber	2 - 2.2 Second

- **Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	100 Litre/hr x 1 No
MOC	SS - 304
Model No.	NEET AC100
Insulation	Ceramic wool on outer side
Pressure	2.1 kg/cm^2
Air Emission	Highly Odorous but Non Toxic
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement.
Feeding	Manual through horizontal Trolley
Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve
Temperature	121 to 134°C
Design Temperature	150°C
Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier at Material Acceptance Recognizable

- **Shredder**

Technical Specifications	
Capacity	100 Kg/hr x 1 No
MODEL No	NEET AC100
Waste Materials	Biomedical waste
Power	3 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VAC
Hopper Size	300 X 400 mm (Height)
Drive	V belt Pulley drive
Required Space	2m^2 (only machine)
MOC	MS Fabricated
MOC of Blade	W.P.S. Hardened changeable Blade
Control Panel	Dual starter ON/OFF switch
Shredding Size	25 X50 mm Waste Cutting
Bearing	SKF (2K) Ball Bearing
Cutting Blade	5 Nos (3 movables & 2 fix blade)

4. हजार्डस एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE	SOURCE	QUANTITY GENERATED (Kg/Day)	METHOD OF DISPOSAL
36.2	Ash	Incinerator	500	Sent to TSDF
34.3	ETP Sludge	ETP area	75	Sent to TSDF site for landfilling or cement co-processing
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As generated	Sent to Authorized Recyclers

5. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल स्वपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10 किलोलीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर 5.5 किलोलीटर प्रतिदिन, रिसाइकल वॉटर 4.5 किलोलीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। इस हेतु भू–जल प्राधिकरण (CGWA) से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.6 किलोलीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 4.6 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–10 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ईफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ., डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट मीडिया की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Plasma Pyrolysis में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेंचुरी स्क्रबर एवं सिंथर के साथ पैकड बैड स्क्रबर एलांग विथ एडिसोर्प्शन स्टेक की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की ऊंचाई 12 मीटर होगी। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

7. **परिवहन व्यवस्था** – जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (तथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

8. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 80 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.वी.ए. डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

9. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,340 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (**Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)**) हेतु वर्णित श्रेणी 1(डी) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) **New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF)** के अंतर्गत इंसीनरेटर प्लांटस पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं श्रेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जावे:–

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने हेतु स्कोपिंग कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को सूचित किया जाए।
2. उपरोक्त स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "परिसंकटमय अपशिष्टों" के स्थान पर "जैव-चिकित्सा अपशिष्टों" का उल्लेख किया जाए। तदनुसार पुस्तिकायुक्त संशोधन किया जाए।
3. जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का संग्रहण, हथालन (handing), भंडारण, परिवहन एवं निपटान (disposal) तथा उपचारित दूषित जल गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन बाबत निर्धारित मानकों का पालन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (तथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार ई.आई.ए. में प्रस्ताव का समावेश किया जाए।
4. भू-जल के उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना क्षेत्र की घारी और वृक्षारोपण को दर्शाते हुए संशोधित ले-आउट प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

25. मैसर्स कोटराबुदेली डोलोमाईट स्टोन (प्रो.– श्री तिलक चन्द्रवंशी), ग्राम–कोटराबुदेली, तहसील–साहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम (लघिवालय का नस्ती क्रमांक 8080)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35828/2019, दिनांक 11/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण दिनांक 08/06/2019 द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन आवेदन को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोटराबुदेली, तहसील–साहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 194/1, 194/2 एवं 194/3, कुल क्षेत्रफल – 2.129 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 99,820.07 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(3) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019:

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में एल.ओ.आई. एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तिलक चन्द्रवंशी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटराबुदेली का दिनांक 03/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 771/खनिज/ख.वि./ई–टेण्डर/2019 कबीरधाम, दिनांक 04/05/2019 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर 1 अन्य खदान क्षेत्रफल 2.87 हेक्टेयर है।
4. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन दिनांक 09/05/2019 द्वारा जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई रोड, पुल, रेलवेलाइन, नहर, बांध, ऐनीकट, भवन, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
2. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन दिनांक 26/12/2017 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 25 कि.मी. दूरी पर स्थित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एल.ओ.आई. मेयाद वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. मेयाद वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/11/2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तिलक चन्द्रवंशी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटराबुंदेली का दिनांक 03/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, ई.एम.पी. एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 887/खनि. नि./उ.यो./2018 बेमेतरा, दिनांक 22/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 771/खनिज/ख.नि./ई-टेण्डर/19 कबीरधाम, दिनांक 04/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2.87 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक734/खनिज/ख. नि./ई-टेण्डर/19 कबीरधाम, दिनांक 26/04/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की स्थिति समाप्त हो गई है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 24/2019 विरूद्ध कलेक्टर, जिला-कबीरधाम के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3029/खनि-2/न.क.24/2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 04/07/2020 द्वारा जारी पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त में "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), कबीरधाम के पत्र दिनांक 09/05/2018 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन (पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत) अपीलकर्ता मैसर्स कोटराबुंदेली डोलोमाईट स्टोन प्रो. तिलक चंद्रवंशी कवर्धा जिला कबीरधाम द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में उक्त प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति आदेश/अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला कबीरधाम को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" के लिए आदेश जारी किया गया है।
6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि श्री यशवंत चंद्रवंशी, श्री तरूण चंद्रवंशी एवं श्री तिलक चंद्रवंशी के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र श्री यशवंत चंद्रवंशी एवं श्री तरूण चंद्रवंशी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, जिला-कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./17093 कवर्धा, दिनांक

26/12/2017 से जारी अन्वेषण प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 25 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोटराबुदली 0.58 कि.मी., रेलवे ग्राम–कोटराबुदली 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सहसपुर–लोहरा 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.9 कि.मी. दूर है। सूखी नदी 11 कि.मी. है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,31,437 टन, माईनेबल रिजर्व 5,02,740 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,82,466 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.47 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 8,048 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र के 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में क्रशर स्थापित किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	99,595
द्वितीय वर्ष	99,820
तृतीय वर्ष	99,820
चतुर्थ वर्ष	99,865
पंचम वर्ष	8,719
छठवें वर्ष	9,014
सातवें वर्ष	9,014
आठवें वर्ष	8,789
नौवें वर्ष	9,014
दसवें वर्ष	9,014

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के अंकों को रोटाण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.55 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर के चौड़े सेफ्टी जोन में 936 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
65	2%	1.30	Following activities at Nearby Government Primary School Village- kotrabundeli	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking water Facility	0.25
			Plantation	0.10
			Total	**1.35**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 771/खनिज/ख.नि./ई-टेण्डर/19 कबीरधाम, दिनांक 04/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2.87 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कोटराबुंदेली) का रकबा 2.129 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कोटराबुंदेली) को मिलाकर कुल रकबा 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु न्यायालय संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत अपील में परियोजना प्रस्तावक के अपील को मान्य कर, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), कबीरधाम के पत्र दिनांक 09/05/2018 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों

का पालन कर लिये जाने की स्थिति में उक्त प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति आदेश / अनुज्ञा निष्पादन की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला कबीरधाम को प्रत्यावर्तित किया गया है। अतः उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 194 / 1, 194 / 2 एवं 194 / 3 में स्थित डोलोमाईट पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.129 हेक्टेयर, क्षमता – 99,820 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29 / 08 / 2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 194 / 1, 194 / 2 एवं 194 / 3 में स्थित डोलोमाईट पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.129 हेक्टेयर, क्षमता – 99,820 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3 **राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 333वीं बैठक दिनांक 04 / 07 / 2020 की अनुशंसा के आधार पर सरपंच / सचिव द्वारा आवेदित रेत खदानों के संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

सरपंच / सचिव द्वारा आवेदित रेत खदानों के संबंधित प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.	खदान का नाम एवं पता	प्रपोजल क्रमांक	आवेदन दिनांक
1.	सरपंच, ग्राम पंचायत औराभाटा, ग्राम–औराभाटा, तहसील एवं जिला–रायगढ़ (144)	32670	09 / 11 / 2015
2.	सरपंच, ग्राम पंचायत सरडामाल (बोकरामुड़ा रेत खदान), ग्राम–बोकरामुड़ा, तहसील एवं जिला–रायगढ़ (154)	32707	13 / 11 / 2015
3.	सरपंच, ग्राम पंचायत उसलौट, ग्राम–उसलौट, तहसील एवं जिला–रायगढ़ (163)	32786	12 / 11 / 2015
4.	सरपंच, ग्राम पंचायत श्यामनगर, ग्राम–श्यामनगर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (810)	34074	06 / 04 / 2019
5.	सरपंच, ग्राम पंचायत सिरौंकला, ग्राम–पोलकर्रा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (820)	34286	08 / 04 / 2019
6.	सरपंच, ग्राम पंचायत तर्रा, ग्राम–तर्रा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (811)	34079	06 / 04 / 2019

7.	सरपंच, ग्राम पंचायत परसदा, ग्राम–ठाकुरदिया, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (845)	35183	24 / 04 / 2019
8.	सरपंच, ग्राम पंचायत टौला, ग्राम–टौला, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (827बी)	31559	11 / 04 / 2019
9.	सरपंच, ग्राम पंचायत बरोण्डा, ग्राम–बरोण्डा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (754ए)	86980	29 / 11 / 2018
10.	सरपंच, ग्राम पंचायत दतरेंगी, ग्राम–दतरेंगी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (844)	35172	24 / 04 / 2019
11.	सरपंच, ग्राम पंचायत बिशुनी, ग्राम–बिशुनी, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर (876)	36182	24 / 05 / 2019
12.	सरपंच, ग्राम पंचायत प्रेमनगर, ग्राम–जमई, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर (888)	36876	28 / 05 / 2019
13.	सरपंच, ग्राम पंचायत जावरगांव, ग्राम–जावरगांव, तहसील व जिला–धमतरी (905)	37838	17 / 06 / 2019
14.	सरपंच, ग्राम पंचायत परसडीहा, ग्राम–जमई, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (918)	39067	12 / 07 / 2019
15.	सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर, ग्राम–राजपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (898)	37394	06 / 06 / 2019
16.	सरपंच, ग्राम पंचायत सरसकोना, ग्राम–सरसकोना, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (757)	69786	27 / 12 / 2016

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01 / 07 / 2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उपरोक्त परियोजना प्रस्तावकों से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी, जो कि अप्राप्त है।

2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रेत उत्खनन नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से ग्राम अधिमानी बोलीदार के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें निम्न तथ्य है:–

   खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2019 के द्वारा राज्य में गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" बनाया गया है। इस नियम में रेत उत्खनन नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से ग्राम अधिमानी बोलीदार के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

   छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिलाध्यक्षों द्वारा नीलामी की प्रक्रिया उपरांत उपयुक्त अधिमानी बोलीदारों को संबंधित कार्यालय

कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा एल.ओ.आई. जारी किया जाता है। जारी एल.ओ.आई. अनुसार अभिमानी बोलीदाता द्वारा रेत उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाता है।

3. उपरोक्त खदानों में से कुछ खदानों के अभिमानी बोलीदाता (एल.ओ.आई. धारकों) द्वारा नवीन आवेदन की जा चुकी है।

4. उक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त परियोजना प्रस्तावकों (संघर्ष) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए रुचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उक्त आवेदनों को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को सम्पन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदनों को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावकों को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 **नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्री अमर प्रसाद (ग्राम–जोकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर), ग्राम–बराईकांड, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह), पोस्ट–छाताबलिया, उत्तरप्रदेश के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु।**

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–जोकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 407/1, कुल लीज क्षेत्र 1.319 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर के ज्ञापन दिनांक 28/01/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की जानकारी दी गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एस.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर नामांतरित किये जाने तथा विभिन्न दस्तावेजों में खुटियाश खसरा क्रमांक 407/1 के उल्लेख में संशोधन करते हुये खसरा क्रमांक 401/1 किये जाने हेतु दिनांक 24/08/2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के आदेश दिनांक 22/08/2020 द्वारा उक्त उत्खनन पट्टा का अंतरण मेसर्स एस.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर करने संबंधी संशोधित आदेश जारी की गई है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक /330/ख.लि./2020 जशपुर, दिनांक 20/05/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर नामांतरित किये जाने बाबत् आदेश जारी किया गया है। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 115/ए/ख.लि./2020 जशपुर, दिनांक 22/06/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर नामांतरित किये जाने तथा त्रुटि सुधार उपरांत खसरा क्रमांक 407/1 के स्थान पर खसरा क्रमांक 401/1 किये जाने हेतु संशोधित आदेश जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के संशोधित आदेश दिनांक 22/06/2020 में बताया गया है कि:–

"ग्राम–जोकरी, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर की खसरा क्रमांक 401/1, रकबा 1.319 हेक्टेयर क्षेत्र में गौण खनिज साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा (अवधि दिनांक 14/10/2020 से 13/10/2030) श्री अमर प्रसाद के नाम पर स्वीकृत था, जिसका अंतरण अब मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) को नामांतरित कर दिया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज मंगाये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पुष्टि करते हुये सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर हस्तांतरित किये गये अंतरण नामांतरित (Lease Transfer) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज एवं क्षमता में परिवर्तन होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–बनवानी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 529)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन/ 180344/2020, दिनांक 26/06/2020।

मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड, ग्राम–बनवानी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा द्वारा मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड को भूमि 24.79

हेक्टेयर क्षेत्र (ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा) में स्वीकृत माईनिंग प्लान के अनुरूप चूना पत्थर उत्खनन क्षमता – 0.725 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में "मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा" से "मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड, ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा" नाम परिवर्तन बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 25/02/2019 द्वारा भूमि 24.79 हेक्टेयर क्षेत्र (ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा) में स्वीकृत माईनिंग प्लान के अनुरूप चूना पत्थर उत्खनन क्षमता – 0.725 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड द्वारा मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड का नाम परिवर्तन किये जाने हेतु जारी बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति, लिस्ट ऑफ डॉयरेक्टर की प्रति, नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी पत्र दिनांक 04/08/2020 की प्रति एवं उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी स्थापना सम्मति की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व में मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 25/02/2019 द्वारा भूमि 24.79 हेक्टेयर क्षेत्र (ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा) में स्वीकृत माईनिंग प्लान के अनुरूप चूना पत्थर उत्खनन क्षमता – 0.725 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर, "मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा" के स्थान पर "मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड, ग्राम–ढनढनी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा" करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तें नवीन प्रबंधन पर भी क्रियान्वयी रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नवीन प्रबंधन के नाम का संशोधन किया जाए।

3. मेसर्स श्री पृथ्वीपाल सिंह भाटिया (रानीजरौद सेण्ड माईन, ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), निवासी–सिमगा, तहसील –सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स श्री जसप्रीत सिंह भाटिया, निवासी–सिमगा, तहसील –सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 471/2, कुल लीज क्षेत्र 4.94 एकड़, चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–34,338 टन प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा की ज्ञापन दिनांक 14/12/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की जानकारी दी गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री जसप्रीत सिंह भाटिया के नाम पर नामांतरित किये जाने हेतु दिनांक 02/07/2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति, लीज डीड श्री जसप्रीत सिंह भाटिया के नाम की प्रति एवं स्व. श्री पृथपाल सिंह भाटिया का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रेषित की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज मंगाये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पुष्टि करते हुये सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज एवं क्षमता में परिवर्तन होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री विनय प्रताप सिंह ठाकुर (समलुर सेण्ड माईन, ग्राम–समलुर, तहसील–गीदम, जिला–दन्तेवाड़ा), कैलाश नगर, रेस्ट हाउस रोड, जिला–दन्तेवाड़ा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लिपकीय त्रुटिवश उल्लेखित "पता– शिव पार्क कॉलोनी, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)" के स्थान पर "पता– कैलाश नगर, रेस्ट हाउस रोड, जिला–दन्तेवाड़ा" संशोधन बाबत्। (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1099)

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–समलुर, तहसील–गीदम, जिला–दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 262, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर, रेत खदान (गौण खनिज) क्षमता–74,100 घनमीटर प्रतिवर्ष की है। डंकिनी नदी से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 135192/2020, दिनांक 04/01/2020 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था।

आवेदित प्रकरण पर राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 311वीं बैठक दिनांक 06/02/2020 तत्पश्चात् राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 96वीं बैठक दिनांक 06/03/2020 को आयोजित बैठक में विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया

गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 30/04/2020 द्वारा श्री विनय प्रताप सिंह ठाकुर, पता– शिव पार्क कॉलोनी, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.) को जारी किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–द.ब. दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 94/खनिज/रि.जॉ./2020–21 दन्तेवाड़ा, दिनांक 18/06/2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में लिपकीय त्रुटिवश उल्लेखित "पता– शिव पार्क कॉलोनी, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)" के स्थान पर "पता– कैलाश नगर, रेस्ट हाउस रोड, जिला–दन्तेवाड़ा" किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि प्रकरण में तात्समय प्रस्तुत फार्म–2 में "पता– शिव पार्क कॉलोनी, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)" का उल्लेख किया गया है, जबकि जारी एल.ओ.आई. में "पता– कैलाश नगर, रेस्ट हाउस रोड, जिला–दन्तेवाड़ा" का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–द.ब. दन्तेवाड़ा के पत्र दिनांक 18/06/2020 के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में जिन–जिन स्थानों पर "पता– शिव पार्क कॉलोनी, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)" का उल्लेख है, उनके स्थान पर "पता– कैलाश नगर, रेस्ट हाउस रोड, जिला–दन्तेवाड़ा" पढ़े जाने बाबत् संशोधन पत्र जारी किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–रतीजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 98)

मेसर्स एसीबी (इण्डिया) लिमिटेड, जिला–कोरबा द्वारा मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–रतीजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा को कोल बॉयरी रिजेक्ट बेस्ड पॉवर प्लांट के क्षमता विस्तार 50 मेगावॉट से 100 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–रतीजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा" से "मेसर्स एसीबी (इण्डिया) लिमिटेड, ग्राम–रतीजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा" नाम परिवर्तन बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–रतीजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 29/11/2013 द्वारा कोल बॉयरी रिजेक्ट बेस्ड पॉवर प्लांट के क्षमता विस्तार 50 मेगावॉट से 100 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। मेसर्स एसीबी (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, स्पेशल बेंच नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04/02/2020 के माध्यम मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड का अमलगमेशन (Amalgamation) मेसर्स एसीबी (इण्डिया) लिमिटेड में किए जाने की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 08/05/2020 को संपन्न 96वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/07/2020 एवं 16/07/2020 द्वारा लेख किया गया है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आवेदन किया गया है, जो कि विचाराधीन है। उद्योग द्वारा उक्त के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। अतः मेसर्स एलीकी (इण्डिया) लिमिटेड, जिला–कोरबा के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार परियोजना प्रस्तावक को नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड, पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 27)

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर द्वारा मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड को थर्मल पॉवर प्लांट के क्षमता विस्तार 25 मेगावॉट से 27 मेगावॉट किए जाने हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट–सेंचुरी सीमेंट वर्क्स) पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" से "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट–बैकुंठ सीमेंट वर्क्स) पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" नाम परिवर्तन में संशोधन किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के पत्र क्रमांक 1886, दिनांक 07/03/2020 के द्वारा पूर्व में "मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/12/2008 द्वारा थर्मल पॉवर प्लांट के क्षमता विस्तार 25 मेगावॉट से 27 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर, "मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" के स्थान पर "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट–सेंचुरी सीमेंट वर्क्स) पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/06/2020 द्वारा नाम परिवर्तन के संबंध में भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के ज्ञापन दिनांक 25/10/2019 द्वारा जारी

आई.ई.एम. (Industrial Enterpreneurs Memorandum) की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें "मेसर्स सेंचुरी टेक्स टाईल्स एण्ड इण्डिस्ट्रीज लिमिटेड, युनिट सेंचुरी सीमेंट, बैकुंठ, तिल्दा, जिला–रायपुर" के स्थान पर "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, युनिट–बैकुंठ सीमेंट वर्क्स" का उल्लेख किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार परियोजना प्रस्तावक को नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **श्री विनोद कुमार अग्रवाल (ग्राम–सेदम, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा), ग्राम–बतौली, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स श्री दीपेश अग्रवाल, ग्राम–लुर्केना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु।**

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–सेदम, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 54/2, कुल लीज क्षेत्र 0.827 हेक्टेयर, पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–22,056.56 टन की है।
2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 24/03/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की जानकारी दी गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के आदेश दिनांक 23/12/2019 द्वारा उक्त उत्खनन पट्टा का अंतरण श्री दीपेश अग्रवाल के नाम पर करने संबंधी अनुज्ञा प्रदान की गई है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक / 603/खनिज/खनि.1/उ.प./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 26/06/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री दीपेश अग्रवाल के नाम पर नामांतरित किये जाने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित किये जाने हेतु श्री विनोद कुमार अग्रवाल का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 26/06/2020 में बताया गया है कि:–

"ग्राम–सेदम, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 54/2, रकबा 0.827 हेक्टेयर, क्षेत्र में गौण खनिज पत्थर उत्खनन पट्टा श्री विनोद कुमार अग्रवाल

के नाम पर स्वीकृत था, जिसका अंतरण अब श्री दीपेश अग्रवाल को नामांतरित कर दिया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज मंगाये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पुष्टि करते हुये सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. श्री दीपेश अग्रवाल के नाम पर हस्तांतरित किये गये अंतरण नामांतरित (Lease Transfer) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज एवं क्षमता में परिवर्तन होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/07/2020 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 26/08/2020 को निम्न जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है:–

1. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पुष्टि करते हुये सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला–सरगुजा, अम्बिकापुर द्वारा विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2009	–	2015	10
2010	96	2016	80
2011	180	2017	265
2012	360	2018	159
2013	600	2019	85
2014	200		

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2277/उ.प./खनिज/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 23/12/2019 द्वारा श्री दीपेश अग्रवाल के नाम पर हस्तांतरित किये गये अंतरण नामांतरित (Lease Transfer) की आदेश प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूर्व में अनुमोदित उत्खनन योजना अनुसार (दिनांक 31/07/2016 से 30/07/2019) में 23,056.56 टन औसतन प्रतिवर्ष था, नवीन अनुमोदित उत्खनन योजना अनुसार 8735.56 टन औसतन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा

नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम–सोदम, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 54/2, रकबा 0.827 हेक्टेयर, क्षेत्र में गौण खनिज फलवर उत्खनन पट्टा को श्री दीपेश अग्रवाल के नाम पर नामांतरित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(संगीता पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(मोती लाल सरन)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. समीर बाजपेयी)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़